NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
विंग–II, हंस भवन, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के लिए सूचना

1. जैसाकि वर्ष 1993 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम, राअशिप के 1997 के नियमों और परवर्ती विनियमों 2014 के अनुसार सभी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को राअशिप अधिनियम, नियमों और इनके अन्तर्गत निर्मित विनियमों के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है।
00

2. जैसाकि परिषद सभी अध्यापक शिक्षण संस्थाओं की एक प्रमाणित सूची पूरे देश में सार्वजनिक रूप से जारी करने की प्रक्रिया में है जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट छात्रों की संख्या तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण होगा जिसके लिए उन्हें अनुमति प्रदान की गयी है।

3. जैसाकि परिषद ने विनियम 8(12) के अन्तर्गत सभी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से एक शपथ पत्र के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर निश्चित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ***जिन अध्यापक शिक्षा संस्थाओं ने इस आशय की सूचना प्रस्तुत की है उनकी सूची वेबसाइट http://www.ncte-india.org पर सार्वजनिक कर दी गयी है।***

4. तथा जैसाकि यह ध्यान रखा जाए कि मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थियों की प्रमाणित सूची राअशिप की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसे प्रत्येक प्रवेशार्थी और सम्बद्धकारी संस्था से अपेक्षा होगी कि वे राअशिप की वेबसाइट पर यह सत्यापित करें कि संस्था और पाठ्यक्रम राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त है अथवा नहीं।

5. इसलिए अब जिन अध्यापक शिक्षा संस्थाओं ने उपरोक्त शपथ पत्र राअशिप को प्रस्तुत नहीं किए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है जिसमें समाचार पत्र और राअशिप की वेबसाइट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि राअशिप अधिनियम और उनके अन्तर्गत निर्मित विनियमों के प्रावधानों के तहत उनकी मान्यता वापिस लेने की कार्रवाई क्यों न की जाए।

6. इस प्रकार, इसका उत्तर दिनांक 17/04/2017 मध्यरात्रि तक http://www.ncte-india.org पर **अपलोड** कर दिया जाना चाहिए, जो 17/03/2017 से सक्रिय हो जाएगी।

सदस्य सचिव

सार्वजनिक सूचना: *राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपनी मान्यता संबंधी प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि इसे और अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और गतिशील बनाया जा सके। इसलिए सभी संबंधितों को अवगत कराया जाता है कि राअशिप शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए नए आवेदन–पत्र आमंत्रित नहीं कर रही है। (सार्वजनिक सूचना कृपया http://www.ncte-india.org पर देखें)*

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय,

राअशिप (NCTE) से मान्यता प्राप्त पाठ्यकम संचालित करने वाले समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय से प्रेषित कि राअशिप (NCTE) द्वारा निर्गत उक्त नोटिस का तत्काल कड़ाई से अनुपालन करें। जिन महाविद्यालयों का नाम राअशिप (NCTE) की वेबसाईट पर प्रदर्शित "मैण्डेटरी एफिडेविट जमा करने वाली सूची" में अंकित नहीं होगा, उन महाविद्यालयों का नाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड.–2017–19 की काउन्सिलिंग में किसी भी दशा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

दिनांक: 30.03.2017

डा0(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव